

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़ दिनांक -17.08.2025

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/2025 धारा 109/352/351(2)/3(5) बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/2025 धारा 109/352/351(2)/3(5) बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट में सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को अभियुक्तगण की निशादेही पर 01 बन्दूक DBBL 12 बोर, नाल में फसा खोखा कारतूस व 06 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. प्रताप सिंह चौहान पुत्र अरूण कुमार सिंह निवासी अपर दुर्गा कालोनी भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. दिनेश सिंह राठौर उर्फ दिन्नी पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण - दिनांक 16.08.2025 को वादी श्री आशीष सिंह पुत्र स्व० योगेन्द्र सिंह निवासी इन्दिरा कालोनी लोको रोड कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ने अभियुक्तों द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मु०अ०सं० 209/2025 धारा 109/352/351(2) बी०एन०एस० बनाम प्रताप सिंह चौहान पुत्र अरूण कुमार सिंह निवासी अपर दुर्गा कालोनी भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.प्रताप सिंह चौहान पुत्र अरूण कुमार सिंह निवासी अपर दुर्गा कालोनी भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ 2. दिनेश सिंह राठौर उर्फ दिन्नी पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को निशादेही पर 01 बन्दूक DBBL 12 बोर, नाल में फसा खोखा कारतूस व 06 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा (5) बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपने जुर्म से माँफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण -

1. एक बन्दूक DBBL 12 बोर व नाल में फसा खोखा कारतूस।
2. 06 जिन्दा कारतूस 12 बोर

अभियुक्त प्रताप सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु०अ०सं० 209/2025 धारा 109/352/351(2)/3(5) बी०एन०एस० व 30 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

दिनेश राठौर उर्फ दिन्नी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु०अ०सं० 209/2025 धारा 109/352/351(2)/3(5) बी०एन०एस० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम -

- 1.उ०नि० श्री बलवीर सिंह
- 2.उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह
- 3.उ०नि० श्री राहुल कुमार
- 4.हे०का० बृजेन्द्र सिंह
- 5.आरक्षी छोटेलाल
- 6.आरक्षी विक्रान्त
- 7.आरक्षी सतेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 17.08.2025

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण को 02 अदद पौनिया 04 अदद अधिया (315, तथा 12 बोर) व 13 अदद तमन्चा देशी (315 तथा 12 बोर) नाजायज तथा 05 अधवनी नाल (लोहा) तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 16.08.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम गिरिरामपुर जाने वाले रास्ते पर बनी झोपडी व कमरे से 02 नफर अभियुक्तगण 1. रनवीर शाक्य 2. रनपाल को अवैध शस्त्र व अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त रामशंकर पुत्र सुखराम जाटव निवासी ग्राम कुसज्जापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1. रनवीर शाक्य पुत्र भीखम सिंह निवासी ग्राम दुर्गपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ हाल पता तकीपुर अम्बेडकर नगर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. रनपाल पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम भरतपुर रसूलपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 16.08.2025 को कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम गिरिरामपुर जाने वाला रास्ते पर बनी झोपड़ी व कमरे से 02 नफर अभियुक्तगण 1. रनवीर शाक्य 2. रनपाल को 02 अदद पौनिया 04 अदद अधिया (315, तथा 12 बोर) व 13 अदद तमन्चा देशी (315 तथा 12 बोर) नाजायज तथा 05 अधवनी नाल (लोहा) तथा शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त रामशंकर उपरोक्त मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 01.02 अदद पौनिया,
02. 04 अदद अधिया (315, तथा 12 बोर)
- 03.13 अदद देशी तमन्चा (315 तथा 12 बोर) नाजायज
04. 05 अधवनी नाल (लोहा) तथा शस्त्र बनाने के नाजायज उपकरण।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि साहब रोजी रोटी के लिए नाजायज शस्त्र (तमचे, अधिया, पौनिया) बनाकर बेचते हैं। कुछ पुराने तमचे, अधिया, पौनिया की रिपेयरिंग भी करते हैं। जिससे अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण हो जाता है।

अभियुक्त रनवीर शाक्य उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 480/2008 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना किशनी जनपद मैनपुरी
2. मु0अ0सं0 771/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 789/2010 धारा 110जी सीआरपीसी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0 114/2021 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़
5. मु0अ0सं0 257/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त रनपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 382/2012 धारा 457/380 भादवि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 408/2012 धारा 398/401 भादवि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 410/2012 धारा 25 आयुध अधिनियम कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0 4/2013 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
5. मु0अ0सं0 195/2013 धारा 25 आयुध अधिनियम कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
6. मु0अ0सं0 08/2014 धारा 302/201 भादवि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़
7. मु0अ0सं0 359/2015 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़
8. मु0अ0सं0 276/2016 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
9. मु0अ0सं0 99/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
10. मु0अ0सं0 270/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
11. मु0अ0सं0 257/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० विनोद कुमार शुक्ल
2. उ०नि० सुरेश सिंह चाहर
3. उ०नि० उदयपाल सिंह
4. उ०नि० आशू कुमार
5. हे०का० कौशलेन्द्र
6. हे०का० इमरान
7. का० भूपेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।